भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3796

दिनांक 16 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

फार्मा-कंपनियों के विरूद्ध मामले

3796. श्री रवि किशन:
श्री पी.पी. चौधरी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तम विनिर्माण प्रथाओं का अनुपालन न करने के लिए भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों के विरुद्ध जेनेरिक दवाओं की कीमतों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने को लेकर मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कंपनियों का संरक्षण करने के लिए कोई योजना तैयार की है अथवा तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)</u>

(क) और (ख): केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को इस मामले पर ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सूचना के अनुसार, कई अमरीकी राज्यों के राज्य महान्यायवादियों ने 7 भारतीय कम्पनियों सहित कई औषधीय कम्पनियों के विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है कि इन कम्पनियों ने जेनेरिक दवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा को दबाने के लिए गैर-कानूनी षडयंत्रों में लिप्त होकर फेडरल और स्टेट एंटीट्रस्ट कानून का उल्लंघन किया है।

(ग) और (घ): जी, नहीं। अन्य देशों में किसी भी दवा के निर्यात और विपणन के लिए, भारतीय औषधीय कम्पनियों को आयातक देश की अनिवार्यताओं का अनुपालन करना आवश्यक है।

******